

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी म.प्र.

क्रमांक— 549

शिवपुरी दिनांक— 20-05-2024

—:: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ::—

मैं जितेन्द्र मेहर वास्ते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी मध्यप्रदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-14 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **जून-2024** में सार्वजनिक अवकाश के दिनों में जिला मुख्यालय शिवपुरी एवं तहसील के समस्त आरक्षी केन्द्रों/जांच एजेंसियों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य करने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाता हूँ :-

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम एवं स्थान	स्थान	माह जून के पूर्व से घोषित सार्वजनिक अवकाश दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री रवि कुमार बौरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	23-06-2024
2.	सुश्री मिताली वाणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	02-06-2024
3.	श्री अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	16-06-2024
4.	सुश्री प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	09-06-2024 15-06-2024
5.	श्रीमती रूपम तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	17-06-2024
6.	श्रीमती पूजा पाठक बौरासी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।	शिवपुरी	30-06-2024

7.	श्री प्रशांत पाण्डेय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी।	कोलारस	15-06-2024 16-06-2024 17-06-2024 23-06-2024
8.	श्रीमती रजनी मीरोटा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी।	कोलारस	02-06-2024 09-06-2024 30-06-2024
9.	श्रीयुत श्रीकृष्ण बुखारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	17-06-2024
10.	श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	23-06-2024 30-06-2024
11.	सुश्री काजल रेनीवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	15-06-2024 16-06-2024
12.	श्रीमती श्वेता मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी	करैरा	02-06-2024 09-06-2024
13.	श्री अमनदीप सिंह छावड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	16-06-2024 17-06-2024 23-06-2024 30-06-2024
14.	सुश्री नेहा प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी	पिछोर	02-06-2024 09-06-2024 15-06-2024
15	श्री भूपेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना, जिला शिवपुरी	खनियाधाना	02-06-2024 09-06-2024 23-06-2024 30-06-2024 शेष अवकाश दिवसों में निकटस्थ तहसील मुख्यालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड कार्यवाही संपादित की जावेगी।

16	श्रीमती अंजली पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोहरी, जिला शिवपुरी	पोहरी	23-06-2024 30-06-2024 शेष अवकाश दिवसों में निकटस्थ तहसील मुख्यालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड कार्यवाही संपादित की जावेगी।
----	---	-------	--


नोट :-

01. यदि रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट किसी कारणवश किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा अपरिहार्य कारणवश मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करने को विवश है, तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से किसी एक से सामंजस्य स्थापित कर नियत तिथि पर रिमाण्ड ड्यूटी की व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेटों का अवकाश आवेदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी को तभी अग्रेषित किया जा सकेगा, जब रिमाण्ड ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के द्वारा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से ऐसी सहमति रिमाण्ड ड्यूटी करने की प्राप्त कर ली गयी है, इस तथ्य की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवपुरी को अनिवार्यतः देंगे।
02. यदि जिले में तैनात कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी प्रकार के अवकाश पर अथवा प्रशिक्षण पर प्रस्थान करता है एवं अन्य कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है तब अंतिम विकल्प के रूप में उक्त मजिस्ट्रेट के स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा निष्पादित किया जावेगा जो कि मूल संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2024 के अनुसार उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का अत्यावश्यक आपराधिक कार्य निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
03. यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होता है तो उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादित किया जावेगा।

04. तहसील खनियाधाना एवं पोहरी के उपरोक्त उल्लेखित अवकाश दिवस के अतिरिक्त शेष अवकाश दिवसों में निकटस्थ तहसील मुख्यालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड कार्यवाही संपादित की जावेगी।
05. जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड के कार्य का निष्पादन किया जाना है, वह उक्त कार्य हेतु अपने न्यायालय के दो सक्षम कर्मचारी जो कि, शीघ्रता से कार्यवाही का निष्पादन कर सकें, उन्हें कार्य के दौरान उपस्थित होने के लिए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, से अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करके उनके सहयोग से कार्य का निष्पादन कर सकेंगे।
06. अत्यावश्यक आपराधिक कार्य/रिमाण्ड के कार्य का निष्पादन संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा दिन के 03.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जा सकेगा।

अनुमोदित


(Rajendra Prasad Soni)
Principal District & Sessions Judge
Shivpuri (M.P.)


जितेन्द्र मेहर
वास्ते- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिवपुरी म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक...570.....

दिनांक 25-05-2024

प्रतिलिपि :-

1. श्री जितेन्द्र मेहर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।
2. श्री रवि कुमार बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।
3. सुश्री मिताली वाणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।
4. श्री अमित प्रताप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।
5. सुश्री प्रत्यक्षा कुलेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।
6. श्रीमती रूपम तोमर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।
7. श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी।
8. श्री प्रशांत पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी।
9. श्रीमती रजनी मीरोठा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोलारस, जिला शिवपुरी।
10. श्रीयुत श्रीकृष्ण बुखारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी।
11. श्रीमती श्वेता मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी।

12. श्रीमती कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी।
13. सुश्री काजल रेनीवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करैरा, जिला शिवपुरी।
14. श्री अमनदीप सिंह छावड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी।
15. सुश्री नेहा प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिछोर, जिला शिवपुरी।
16. श्रीमती अंजली पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोहरी, जिला शिवपुरी।
17. श्री भूपेन्द्र तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खनियाधाना, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
18. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, शिवपुरी/करैरा/पिछोर/पोहरी/कोलारस/खनियाधाना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
19. चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल जिला शिवपुरी म0प्र0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
20. पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
21. निज सहायक न्यायालय मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
22. प्रवर्तन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
23. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, शिवपुरी की ओर से सूचनार्थ एवं समस्त संबंधित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने हेतु प्रेषित।

(जितेन्द्र मेहर)

वास्ते-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शिवपुरी म.प्र.।